विधान परिषद् के तृतीय सत्र, के 2024के प्रथम गुरूवार के लिये निर्धारित श्री राज बहादुर सिंह चन्देल, मा० सदस्य विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-8 का उत्तर

प्रश्न	**उत्तर**
8(क) क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाडी कार्यकत्रियों की पदोन्नति हेतु नियमावली है ?	जीहाँ।
(ख) यदि हॉ, तो उक्त नियमावली के अनुसार जनपद-उन्नाव में पदोन्नति सीमा में आने वाली पात्र कार्यकत्रियों का विवरण क्या है?	(ख) उत्तरप्रदेश, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (अधीनस्थ) सेवा नियमावली-1992,समय-समय पर यथासंशोधित उक्त नियमावली, 1998 व 2006 में निहित व्यवस्था के अनुसार प्रतिचयन वर्ष में निर्धारित कटऑफ डेट के अनुसार शैक्षिक योग्यता व अनुभव के वर्षों पर निर्धारित अंकों के अनुरूप प्रदेश स्तर पर तैयार की गई मैरिट के आधार पर किया जाता है। प्रतिचयन के समय उपरोक्तानुसार तैयार की गयी मैरिट लिस्ट के आधार पर रिक्त पदों के अनुरूप ही पात्रता का निर्धारण किया जाता है।प्रदेश स्तर पर 2023-24 में 320 आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों का प्रतिचयन मुख्यसेविका पद पर किया गया है।

बेबी रानी मौर्य
मंत्री